पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक/415 /2007 रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2007

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ.ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	-	सदस्य
3.	डॉ. शशिभूषण,	-	सदस्य
4.	डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र	-	सदस्य
5.	डॉ.युगल भारती	-	सदस्य
6.	डॉ.जी.बी.गुप्ता	-	सदस्य
7.	श्री रमेश नैयर	-	सदस्य
8.	प्रो. आर.के.गुप्ता	-	सदस्य
9.	श्री राहुल महावर	-	सदस्य
10.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्तः-

विषय क्रमांक-1.

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.01.2007 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः-

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.1.07 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गईः

i. विषय क्र.-5 में "विज्ञापित पद का पुनरीक्षण कर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाये" बिन्दु शामिल किया जाये।

ii. विषय क्र.-7 के अंतर्गत अन्य स्टेंडिंग कौंसिल की "नियुक्ति हेतु कुलपति जी को अधिकृत" शामिल किया जाये।

iii. विषय क्र.-9 में "शोधपीठ के कार्य हेतु रु. 5000/- (रुपए पाँच हजार मात्र) इम्प्रेस्ट राशि की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया" शामिल किया जाये।

iv. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामकृष्ण पाटिल के नाम पर हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में उनका बायोडाटा प्राप्त किया जाकर स्थायी समिति की बैठक में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।

v. विषय क्र.-19 में उल्लेख के संबंध में "किसी भी स्थिति" में को विलोपित कर इसके स्थान पर विशेष भौगोलिक परिस्थिति में/ छात्रहित में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जांये एवं केन्द्र संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय/ विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को आवश्यकतानुसार केन्द्राध्यक्ष/ सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जाये" शामिल किया जावे।

विषय क्रमांक-2

विश्वविद्यालय का वर्ष 2005-06 के वास्तविक, वर्ष 2006-07 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2007-08 के प्रस्तावित आय-व्यय पत्रक का अनुमोदन करना।

निर्णयः-

विश्वविद्यालय का वर्ष 2005-06 के वास्तविक, आय-व्यय वर्ष 2006-07 के पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वर्ष 2007-08 के प्रस्तावित आय-व्यय पत्रक का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-3

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर की प्रारंभिक जाँच क्रमांक 4/2001 विरूद्ध कुलपति श्री एन.के.गौराहा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः-

डॉ.एन.के.गौराहा ने फैक्स द्वारा प्रकरण के संबंध में संबंधित परीक्षाफल समिति का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकरण पर अनुशंसा उल्लेखित है। अतः संबंधित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुसंधान ब्यूरो को अवगत करा दिया जावे।

डॉ.गौराहा ने अपने पत्र दिनांक 3/2/2007 में यह भी सूचित किया है कि कुलपति/कुलसचिव उन्हें सूचित करें कि हवाई यात्रा व्यय तथा अग्रिम का कितना पैसा देना है। राशि जमा करने हेतु वे सहमत हैं।

विषय क्रमांक-4

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर द्वारा संबंधित प्राचार्यों को प्रेषित पत्र की सूचना बाबत।

निर्णयः-

निर्णय लिया गया कि विधिसम्मत कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक-5

विश्वविद्यालय स्थायी निधि खाता में राशि जमा किये जाने की सूचना ग्रहण करना एवं अनुमोदन प्रदान करना।

निणर्यः-

वित्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि अगली बैठक में यह जानकारी प्रस्तुत किया जावे कि अभी तक कुल कितनी राशि स्थायी निधि के रूप में जमा है।

विषय क्रमांक-6

अकादमिक विभाग हेतु स्वीकृत इम्प्रेस्ट राशि रु. 5000/- को बढ़ाकर रु. 10,000/- किये जाने बाबत।

निर्णयः-

अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-7

अकादमिक विभाग में लगे दूरभाष हेतु अधिकतम व्यय राशि रु. 1500/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु. 3000/- प्रतिमाह किये जाने बाबत।

निणर्यः-

अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-8

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी) रायपुर के द्वारा पी.जी.डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन परीक्षा 2006 की अंकसूची में नियम विरूद्ध विश्वविद्यालय "मोनो" का उपयोग करने विषयक।

निर्णयः-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शास.विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी), रायपुर द्वारा पी.जी.डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्प्युनिकेशन परीक्षा 2006 के अंकसूची में नियम विरूद्ध विश्वविद्यालय मोनो का उपयोग किया गया, जो उचित नहीं है। अतः इस प्रकरण में संबंधित प्राचार्य पर आगामी कार्यवाही हेतु उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया जावे।

<u>अनुपूरक विषय सूची-</u>

विषय क्रमांक-1

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2007 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः-

अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-2

रायपुर होमियोपैथिक महाविद्यालय, रायपुर के प्राचार्य को पदच्युत कर दिये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः-

निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक-3

विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत ।

निर्णयः-

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक-4

सामुदायिक भवन के व्यवस्था के संचालन एवं आवंटन तथा किराया तय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः-

आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक-5

कुलअनुशासक एवं संयुक्त कुलअनुशासक को मोबाइल सुविधा दिये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः-

अनुमोदन किया गया।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से,</u>

विषय क्रमांक-1

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु शासन से प्राप्त राशि रु. 2.00 करोड़ का भुगतान भू-अर्जन अधिकारी को किये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना।

निर्णयः-

वित्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई एवं अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-2

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय तथा मूल एवं 50 प्रतिशत महंगाई वेतन पर महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः-

शासन के अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-3

क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार 02 नये (Utility Vehicle) वाहन क्रय करने के संबंध में क्रय समिति की अनुशंसा की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः-

क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार 02 नये Utility Vehicle क्रय करने की अनुमति एवं रु. 6,26,006/- (रु. छः लाख छब्बीस हजार छः मात्र) के भुगतान स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-4

त्रयोदश दीक्षांत समारोह हेतु मंगाये गये गाउन का एयर किराया रु. 3806/- के भुगतान की स्वीकृति बाबत ।

निर्णयः-

अमान्य किया गया।

विषय क्रमांक-5

पूर्व वर्षों के अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः-

अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक-6

श्री आर.पी.देवांगन के धारणाधिकार में वृद्धि संबंधी।

निर्णय-

नियमानुसार कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक-7

लघु शोध प्रबंध (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जमा करने बाबत।

निर्णयः-

लघुशोध प्रबंध परीक्षा प्रारंभ होने के 07 दिन पहले तक जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-8

स्टोर कीपर के पदोन्नति के प्रकरण के संबंध में गठित समिति के प्रतिवेदन विषयक।

निर्णयः-

समिति के रिपोर्ट में उल्लेखित अनुशंसा के अनुसार स्टेंडिंग कौंसिल से अभिमत प्राप्त किया जावे।

विषय क्रमांक-9

प्राचार्य की नियुक्ति के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोलने एवं अनुशंसित नाम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः-

विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऑफ रायपुर, श्रेयश कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सुपेला, भिलाई एवं अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर के प्राचार्य पद हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गये। चयन समिति ने किसी भी प्रत्याशी को योग्य नहीं मानते हुए पुनः विज्ञापन की अनुशंसा किया है। अतः तदनुसार कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक-10

विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिया जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

1. डॉ.(कु.) मिताश्री मित्रा, प्रोफेसर, मानवविज्ञान
2. डॉ.बंशगोपाल सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान
3. डॉ.सी.एल.पटेल, प्रोफेसर, विधि
4. डॉ.ओ.पी.व्यास, प्रोफेसर, कम्प्युटर अ.शा.
5. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, ग्रंथपाल
6. डॉ.(श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, रीडर, फार्मेसी
7. डॉ.(श्रीमती) मीता झा, रीडर, मनोविज्ञान
8. डॉ.(श्रीमती) नमिता ब्रम्हे, रीडर, भौतिकी
9. डॉ.अशोक कुमार प्रधान, व्याख्याता, मानवविज्ञान

10. श्री अलेख कुमार साहू, व्याख्याता, विधि
11. डॉ. (श्रीमती) अनुभा सिंह गौर, व्याख्याता, भौतिकी
12. श्री संतूराम कश्यप, व्याख्याता, पुस्तकालय विज्ञान
13. श्री सुशील कुमार इन्दुरकर, व्याख्याता, प्रबंधन
14. श्री जितेन्द्र कुमार प्रेमी, व्याख्याता, मानवविज्ञान

विषय क्रमांक-11

वार्षिक परीक्षा-2007 के संबंध में जानकारी ।

निर्णयः-

कुलपति जी ने समस्त सदस्यों को वार्षिक परीक्षा-2007 के संबंध में जानकारी दिया कि मुख्य परीक्षा 12 मार्च से 108 केन्द्रों पर तीन पालियों में प्रारंभ हो रही है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु संबंधित महाविद्यालयों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता महाविद्यालय में संभव न हो तो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र संबंधित थाने में रखे जावें। संबंधित जिले के जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश देने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। नकल की रोकथाम हेतु 03 उड़नदस्ता दल बनाये गये हैं। प्रश्न पत्रों के वितरण हेतु भी केन्द्र निर्धारित किये गये हैं।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्रों से, प्रशासन से, पुलिस विभाग से, गोपनीय विभाग से सतत संपर्क बनाने हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। अतः प्रश्न पत्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता, उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा संबंधी समस्त सावधानियाँ बरती गई हैं। इसी प्रकार मूल्यांकन की भी कार्यवाही हेतु रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मूल्यांकन के संबंध में निर्णय करने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

बजट एवं वित्तीय प्रकरणों में निम्नलिखित सुझाव पर आगामी बजट बनाने के पूर्व कार्यवाही किया जावे-

1. प्रतिदिन आय एवं व्यय का लेखा में वित्ताधिकारी से सत्यापन।
2. बजट बनाते समय एक माह पहले के वास्तविक आय एवं व्यय का उल्लेख आवश्यक है।
3. बजट में आगामी तीन वर्षों के प्राथमिकता तय करने के आधार पर प्रत्येक वर्ष के प्रावधान में शामिल किया जावे।
4. एफ.डी. के रूप में कितना जमा है एवं किस मद के लिए चिन्हित किये गये हैं उनकी जानकारी कार्यपरिषद् के सदस्यों को समय-समय पर दिया जावे।
5. सामाजिक विज्ञान संकाय में जर्नल नियमित रुप से प्रकाशित करने की कार्यवाही किया जावे।
6. बस्तर परिसर एवं विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्षों के एकेडेमिक प्रोग्राम निश्चित किया जावे।
7. पोस्ट डॉक्टरेट हारवेस्टिंग टेक्नॉलॉजी के संबंध में श्री राहुल महावर, कार्यपरिषद् सदस्य के प्रस्ताव पर डॉ.रमा पाण्डेय, डॉ.के.एल.तिवारी एवं डॉ.विभूति राय की समिति परीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे।

8. इकानामिक ड्राइव के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया जावे-

(i) डॉ.आर.के.गुप्ता

(ii) डॉ.आर.एन.मिश्र

(iii) डॉ.शशिभूषण

(iv) कुलसचिव

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृष्ठां.क्रमांक/ 416 /अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2007

प्रतिलिपिः-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को, इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ वित्त अधिकारी/ आवासीय अंकेक्षण/ समस्त विभागीय अधिकारी,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

पं.र.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव